कमिश्नर वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0

प्रार्थी :- सर्वश्री मदीन पेपर टयूब्स प्रा0लि0, 117/ 356 सोरा गोदाम गुमटी नं0-9,कानपुर ।

पत्र सं0 :- 109/08

प्रार्थी की ओर से :- श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता ,डायरेक्टर ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री द्वारा मदीन पेपर टयूब्स प्रा0लि0, 117/ 356 सोरा गोदाम गुमटी नं0 -9,कानपुर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर धिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 4-3-2008 में व्यापारी द्वारा पेपर टयूब्स, पेपर कोर, पेपर एंगल बोर्ड (एज प्रोटेक्टर) पेपर कंटेनर,चालान पर कर की दर जानकारी चाही गयी है।

2- मुख्यालय के पत्र संख्या-101 दिनांक 10-3-08 के द्वारा एडीशनल कमिश्नर(ग्रेड-1) वाणिज्य कर, कानपुर जोन, कानपुर से व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर आख्या मांगी गयी जो सुनवाई हेतु नियत तिथि तक प्राप्त नहीं हुई है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 27-03-2008 पर श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता ,डायरेक्टर उपस्थित हुये और उनके द्वारा लिखित रुप से अवगत कराया गया कि पेपर टयूब/ कोर एक पैकिग प्रोडक्ट है जिसका प्रयोग टैक्सटाइल क्षेत्र में धागे को लपेटने में , कागज के कारखाने में रील को लपेटने में , पालीथीन ,कारपेट,दरी,तिरपाल ,एल्यूमीनियम फायल, सूटिग,शर्टिंग, साड़ी आदि के लपेटने में किया जाता है।

4- मैंने व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों का परिशीलन किया तथा अभिलेखो का अवलोकन किया ।व्यापारी द्वारा निर्मित किया जा रहा पेपर कोर , पेपर टयूब उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर, 2008 के अन्तर्गत विज्ञाप्ति अनुसूची-1,2,3 व 4 में कहीं पर वर्गीकृत नहीं है अत: इन पर अनुसूची-5 के अनुसार अवर्गीकृत वस्तु की भांति 12.5-% की दर से करदेयता होगी।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है ।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक- 2, अप्रैल, 2008

ह0 2-4-08

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रमाणित प्रतिलिपि